People's Manifesto

लेकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर जनघोषणापत्र और राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों की तुलनात्मक समीक्षा

WADA NA TODO

WADA NA TODO ABHIYAN

जन घोषणापत्र	भाजपा	काँग्रेस	सीपीआई	सीपीआई (एम)	आम आदमी पार्टी
स्वास्थ्य					
➢ स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए ➢ राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक 2009 लागू किया जाए ➢ सभी के लिए सुरक्षित पीने के पानी और शौचालय की सुविधा	➢ नई स्वास्थ्य नीति ➢ राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन ➢ स्वच्छ भारत के लक्ष्य पर एक मिशन के रूप मे काम	➢ स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत व्यय ➢ स्वास्थ्य का अधिकार एक कानूनी अधिकार ➢ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास ध्यान	➢ स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत व्यय ➢ दवाओं की निःशुल्क और निर्बाध उपलब्धता ➢ मेडिकल पेशेवरों को प्रशिक्षण	➢ स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत व्यय ➢ हेल्थकेयर को मौलिक अधिकार बनाने पर जोर	➢ 'चिकित्सा का अधिकार' कानून पारित किया जाए ➢ प्रभावी ढंग से निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की जवाबदेही ➢ आवश्यक दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता
शिक्षा					
➢ शिक्षा पर व्यय बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत किया जाए ➢ प्री–स्कूल में पढ़ रहे बच्चो को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए ➢ शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने की जरूरत	➢ शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटन ➢ सर्व शिक्षा अभियान का सशक्तिकरण ➢ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन ➢ सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	➢ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रभावी कार्यान्वयन ➢ विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान ➢ छात्रों के लिए राष्ट्रीय आयोग	➢ शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटन ➢ शिक्षा के अधिकार को मजबूत बनाने के लिए सुधार और संशोधन ➢ प्रगतिशील और सर्वमान्य पाठ्यक्रम	➢ शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत आवंटन ➢ निःशुल्क और यूनिवर्सल एजुकेशन ➢ सर्वजनिक शिक्षा प्रणाली	➢ सभी के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ➢ स्कूलों और शिक्षकों की मोहल्ला सभाओं और ग्राम पंचायतों के प्रति जवाबदेही तय करना
रोजगार					
➢ मनरेगा के तहत एक परिवार के दो सदस्यों को एक वर्ष में न्यूनतम 200 दिन काम ➢ वित्तीय प्रवास को रोकने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत ➢ शहरी रोजगार के लिए कानून	➢ श्रम आधारित क्षेत्रों के विकास पर जोर ➢ राष्ट्रीय मल्टी–स्किल मिशन ➢ कृषि के पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों की मजबूती पर खास ध्यान	➢ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश में 38% की वृद्धि ➢ रोजगार सृजन के लिए 100 शहरी क्लस्टर्स का निर्माण और नये निवेश पर जोर ➢ नेशनल स्किल डेवेलपमेंट एजेन्सी का गठन	➢ शहरी रोजगार गारंटी के लिए अधिनियम ➢ सभी वयस्कों को माँग के अनुरूप काम के दिनों का आवंटन ➢ रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन	➢ रोजगार गहन विकास ➢ काम करने की गारंटी के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने की प्रस्तावना	➢ रोजगार के अवसर पैदा करने को ध्यान मे रखकर आर्थिक नीतियाँ ➢ उद्यमशीलता को बढ़ावा
खाद्य सुरक्षा					
➢ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी को कवर किया जाए ➢ दालों और खाद्य तेलों को खाद्यान्न पात्रता (फूड एंटाइटेलमेंट) में शामिल किया जाए ➢ खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम ➢ कुपोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता महिलाओं और लड़कियों में कुपोषण पर विशेष जोर देने की जरूरत	➢ यूनिवर्सल खाद्य सुरक्षा पर भरोसा ➢ सफल पीडीएस मॉडल की समीक्षा और सर्वोत्तम प्रेक्टिसेस को अपनाने पर ध्यान ➢ अल्पपोषण और कुपोषण को दूर करने की दिशा मे काम ➢ अनाज, दालों और तेलों के उत्पादन को बढ़ावा	➢ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन ➢ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए रियायती दर पर दाल और खाना पकाने का तेल	➢ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विस्तार ➢ नियंत्रित कीमतों पर दालों, खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी के तेल का वितरण ➢ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषक खाने की व्यपवस्था	➢ यूनिवर्सल पीडीएस की सौंपना ➢ आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के खिलाफ कड़े कानून का प्रावधान ➢ वयदा कारोबार (फारवर्ड ट्रेडिंग) पर रोक	➢ मोहल्ला सभा की भागीदारी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार का अंत
भूमि और वन अधिकार					
➢ वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा ➢ ग्राम सभा की सहमति के बिना वन भूमि का हस्तांतरण ना किया जाए ➢ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम पेसा एक्ट को सभी जगह लागू किया जाए	➢ गैर कृषि योग्य भूमि के वैज्ञानिक अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति ➢ यह सुनिश्चित किया जाएगा की आदिवासी अपनी जमीन से अलग ना हो	➢ भूमि अधिग्रहण अधिनियम (2013) का कड़ाई से कार्यान्वयन ➢ वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन ➢ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम / पेसा एक्ट को सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा	➢ निजी क्षेत्र के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि के स्थानांतरण पर रोक ➢ भूमिहीन और दलितों को पट्टा आवंटन. किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण पर जोर ➢ भूमि अधिग्रहण अधिनियम (2013) में संशोधन	➢ आमूलचूल भूमि सुधार और भूमिहीनों को जमीन का वितरण ➢ वन संपदा पर वनवासियों को अधिकार देने का कानून ➢ वन भूमि से आदिवासियों के बेदखली पर प्रतिबंध	➢ ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई अधिग्रहण नहीं होगा ➢ वन अधिकार कानून और पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान
कृषिः जीविका का साधन					
➢ मनरेगा के कार्यों में अनुमत सूची के तहत खेतिहर मजदूर शामिल करें ➢ जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसलों और बीजों के उत्पादन पर रोक ➢ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए ➢ गैर कृषि क्षेत्र में किसानों के बड़े पैमाने पर पलायन और किसानों की आत्महत्या की जांच के लिए नीतियां बनाने की जरूरत ➢ स्थाई खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य बल का गठन	➢ कृषि को मनरेगा से जोड़ने की पहल ➢ भारतीय जैविक खेती एवं उर्वरक निगम की सौंपना ➢ आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों (जेनेटिक मॉडिफाइड) को पूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी	➢ कृषि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान, फैलोशिप आदि के खर्च में वृद्धि ➢ किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि ➢ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख तक का रियायती ऋण	➢ अधिकतम 4% ब्याज पर संस्थागत ऋण ➢ कृषि के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति ➢ किसान अनुकूल बीज कानून लागू करने के लिए वर्तमान बीज बिल निरस्त किया जाए	➢ व्यापक और अनिवार्य फसल बीमा ➢ कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य ➢ राज्यों और केंद्र में कृषि के लिए अलग बजट	➢ किसान आत्महत्या रोकने के लिए अहम कदम ➢ दीर्घकालिक कृषि / सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर जोर ➢ जैविक खेती को प्रोत्साहन ➢ जीएम फसलों का विनयमितीकरण
महिला अधिकार					
➢ महिला आरक्षण बिल तत्काल प्रभाव से पास हो ➢ महिलाओं के लिए निष्पक्ष और समान संसाधन वितरण, रोजगार और आय के अवसर सुनिश्चित किये जाए ➢ महिलाओं के संपदा (जमीन जायदाद, जंगल इत्यादि) संबंधित अधिकारों की सुरक्षा हों	➢ संवैधानिक संशोधन करके महिलाओं को 33: आरक्षण दिया जाए ➢ बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ – राष्ट्रीय अभियान शुरु किया जाए ➢ ग्रामीण महिलाओं के दैनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर ➢ संपत्ति, वैवाहिक और सहवास संबंधी अधिकारों में लिंग असमानता / भेदभाव खत्म करें	➢ महिलाओं के लिये 33% आरक्षण अभिनियमित हो ➢ नागरिक चार्टर में महिलाओं की सुरक्षा व बचाव का उल्लेख तथा प्रावधान हो ➢ बलात्कार और घरेलू हिंसा शिकार महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप क्राईसिस सेंटर का निमार्ण हो ➢ एकल महिलाओं तथा मातृ–सत्तामक परिवारों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा हो	➢ 33% महिला आरक्षण अभिनियमित हो ➢ ऑनर किलिंग, महिलाओं की तस्करी जैसे अपराधों के खिलाफ कानून बनाना तथा असहाय महिलाओं के लिये गुजारे–भत्ते का प्रावधान ➢ समाज सुधार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं / बालिकाओं के खिलाफ प्रचलित कुप्रथाओं पर अंकुश लगे ➢ जेंडर बजटिंग में कम से कम 40% की वृद्धि हो	➢ महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए कानून ➢ लिंग समानता तथा सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकार ➢ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना	➢ महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान ➢ लिंग संवेदनशीलता के परिपेक्ष्य में समझ विकसित करने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक लोक शिक्षा कार्यक्रम ➢ महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिये राज्यों की एजेंसियों से विस्तृत कार्य योजना
युवा एवं बाल अधिकार					
➢ कुल केंद्रीय बजट का 10% तक बच्चों के लिए आवंटित हो ➢ पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम का कार्यान्वयन ➢ कक्षा दस तक पास ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष रोजगार के अवसर उपलब्ध हों ➢ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करें ➢ बच्चों व् युवाओं की संसद और ग्राम सभा जैसे कार्यक्रम आयोजित हों	➢ आईसीपीएस को मजबूत बनाना ➢ राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद का गठन ➢ नवोत्पाद और उद्यमिता के लिए जिला स्तर पर ऊष्मायन और त्वरक (इन्क्यूबेशन और एक्सीलेटर) देशव्यापी कार्यक्रम ➢ बच्चों व युवाओं की संसद जैसे कार्यक्रम ग्राम स्तर पर देश भर में आयोजित किये जायें	➢ बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना ➢ महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवा विकास के लिये अतिरिक्त पैकेज ➢ विकलांग युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध हों तथा खेलों पर ध्यान केंद्रित किया जाये	➢ दलितों, आदिवासी बच्चों और अन्य लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए विशेष उपाय ➢ यौन अपराध अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा के अधिनियम को सख्ती से लागू करना ➢ राष्ट्रीय युवा नीति (2014) में उचित संशोधन	➢ सकल घरेलू उत्पाद का 3% बच्चों की देखभाल पर खर्च किया जाए ➢ व्यापक राष्ट्रीय युवा नीति का खाका तैयार होना चाहिये ➢ बेरोजगारी भत्ता	➢ अच्छे रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करने वाली आर्थिक नीतियों पर जोर ➢ ऐसे अवसरों का सृजन हो जो कि आजीवन सीखने और कौशल के विकास की तकनीक को प्रोत्साहन दें
दलित, आदिवासी, मुस्लिम और विकलांग					
➢ एससीएसपी और टीएसपी पर विधान ➢ मुसलमानो पर रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति की रिपोर्ट का समुचित कार्यान्वयन ➢ लाखों दलितों और आदिवासियों की मुक्ति के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (1976) को सख्ती से लागू करना ➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम को लागू करना ➢ सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को पारित करना ➢ विकलांगता बिल (2009) को पारित करना	➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आवंटित फंड का समुचित उपयोग ➢ सामाजिक न्याय व सामाजिक सदभाव के सिद्धांत का अनुपालन ➢ अस्पृश्यता तथा मैला ढ़ोने जैसी घृणित प्रथाओं का उन्मूलन ➢ स्थायी अंतरआस्था व परामर्श तंत्र की सौंपना ➢ विकलांगता विधेयक का अधिनियमीकण	➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उप–योजना पर अध्यादेश लाना ➢ साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति–की–भरपाई की सुलभता) विधेयक (2013) को लागू करना ➢ उद्यमिता एवं कौशल विकास के सन्दर्भ में उपयोग–के–लिये–तैयार कोष बनाएँ ➢ स्च्चर समिति की सिफारिशों को लागू करना	➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उपयोजना संबंधित विशेष घटक की योजना के लिए केन्द्रीय कानून बनाना ➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को मजबूत बनाना ➢ स्च्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट का कार्यान्वयन ➢ विकलांगता विधेयक में उचित संशोधन करना और पारित करना	➢ सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को लागू करना ➢ केंद्र और राज्यों दोनों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए कानून लागू करना ➢ आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन करना	➢ जाति आधारित असमानता और अस्पृश्यता की मानसिकता में बदलाव के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार व प्रसार ➢ सांप्रदायिक हिंसा शिकार व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा न्याय का सुनिश्चितिकरण ➢ पीडब्ल्यूडी से संबंधित सभी कानूनों में लोक निर्माण विभाग की उपयुक्त भागीदारी
जवाबदेह सरकार					
➢ जनता की उचित भागीदारी और निगरानी के लिए तंत्र को सशक्त बनाना ➢ जवाबदेही लागू करने में नागरिक समाज की भूमिका को संस्थागत करना ➢ सभी सरकारी कार्यक्रमों की वित्तीय और परिचालन संबंधित जानकारियों / विवरणों का सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होना	➢ कार्यप्रणालियों का नागरिक अनुकूल, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह होना ➢ प्रभावी लोकपाल संस्था की स्थापना ➢ प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार ➢ योजनाओं के प्रदर्शन की अपेक्षित समीक्षा	➢ नागरिक अधिकार – सामान और सेवाओं के समयबद्ध वितरण – के पारित होने का सुनिश्चितिकरण ➢ आपका पैसा आपका हाथ – समयबद्ध वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, भ्रष्टाचार को दूर करना	➢ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लोकपाल अधिनियम इत्यादि को संशोधित करना व सशक्त बनाना ➢ आरटीआई कार्यकर्ताओं, उपयोगकर्ताओं तथा मुखबिरों (ह्विसल्ब्लोअर्स) की सुरक्षा के लिये अधिनियम	➢ लेकपाल कानून को सशक्त बनाना ➢ शासन के सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही ➢ मुखबिर (ह्विसल्ब्लोअर्स) कानून को मजबूत बनाना	➢ जन लोकपाल विधेयक का एक सशक्त संस्करण अधिनियमित करना ➢ स्वराज विधेयक के द्वारा प्रशासनिक शक्तियों का स्थानीय स्तर जैसे ग्राम व मोहल्ला सभाओं को हस्तांतरण तथा वितरण
मानवाधिकार					
➢ ए.एफ.एस.पी.ए. जैसे सभी जनविरोधी, लोकतंत्र विरोधी कानूनों का समापन करना ➢ माओवादी क्षेत्रों में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपराधीकरण समाप्त करना ➢ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करना और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना ➢ आवास के अधिकार को बुनियादी मानव अधिकार के रूप में पहचानना	➢ देश भर में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा के लिए उपाय ➢ न्यायिक सुधारों को उच्च प्राथमिकता ➢ बड़े पैमाने पर कम लागत के आवास बनाने के कार्यक्रम	➢ मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता ➢ न्यायिक मानक, जवाबदेही विधेयक और न्यायिक नियुक्तियों के विधेयक को अधिनियमित करना ➢ यह सुनिश्चित करना कि एक ही लिंग के वयस्कों के बीच आम सहमति से बने यौन संबंध अपराध नहीं है ➢ आवास के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार करना	➢ सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का निरस्तीकरण ➢ जातिवाद निरोधक कानून को लागू करना ➢ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में यथोचित संशोधन	➢ एलजीबीटी समुदाय के समान अधिकार को सुनिश्चित करना ➢ सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का निरस्तीकरण ➢ आवास के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचानना	➢ ए.एफ.एस.पी.ए. जैसे कानूनों की समीक्षा और सुधार ➢ अधिसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बराबर संवैधानिक मान्यता प्रदान हो और उनकी सटीक गणना की जानी चाहिये

<u>जनघोषणा पत्र पर राष्ट्रीय मंचः</u> अलाइयेन्स फॉर राइट टू अर्ली चाइल्डहुड डेवेलपमेंट, कॅपेन अगेन्स्ट डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल अधिकार गठबंधन, भारतीय सामाजिक संस्थान, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, नेशनल कॅपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, कासा, पूअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी, नाइन इज माइन, ऑक्सफैम इंडिया, आर टी आई फोरम, सेव द चिल्ड्रेन, यूथ अनमेनीफेस्टो, वादा ना तोडो अभियान, वर्ल्ड विजन जीकैप